

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना।

विषय-

पटना- 15, दिनांक-...../10/2015
वित्तीय वर्ष 2015-16 में माँग संख्या 04, गैर योजना मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत उप आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय उप आवंटन आदेश संख्या-03 दिनांक-30.06.2015 एवं आदेश संख्या-05 दिनांक-19.08.201 के क्रम में माँग संख्या 04 गैर योजना मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-463 दिनांक-25.08.2015 एवं पत्रांक-465 दिनांक-27.08.2015 द्वारा क्रमशः विषय शीर्ष कार्यालय व्यय एवं दूरभाष में दी गयी आवंटित राशि के आलोक में माँग संख्या-04, मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उप शीर्ष-0001-मंत्रिगण, विपत्र कोड-N2013008000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नांकित विषयशीर्षों में अंकित राशि नियमानुसार आपके निस्तारार्थ कुल रूपये 90,000/- (नब्बे हजार रूपये) मात्र उप आवंटित किया जाता है।

क्र०	विषय शीर्ष	पूर्व से आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	अबतक सम्पूर्ण आवंटित राशि
1.	13 01-कार्यालय व्यय	1,25,000 /-	50,000 /-	1,75,000 /-
2.	13 03-दूरभाष	50,000 /-	40,000 /-	90,000 /-
	कुल योग	1,75,000 /-	90,000 /-	2,65,000 /-
(वर्तमान में कुल आवंटित रूपये नब्बे हजार मात्र)				

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के माँग संख्या-04, मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय उप शीर्ष-0001 मंत्रिगण, विपत्र कोड-N2013008000001 के उपर्युक्त विषय शीर्षों में उपलब्ध अबतक सम्पूर्ण आवंटित राशि के अन्तर्गत किया जायेगा।

3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2419वि०(2), दिनांक-05.04.2007 के साथ पठित वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 के आलोक में यह आवंटन प्राप्त हुआ है। अतएव वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 के अन्य सभी प्रावधानों का अनुपालन पूर्ववत् रहेगा।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है। संबंधित विपत्र में आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख भी करना होगा कि इसके आधार पर संबंधित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है।
5. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में नहीं हो सके तो राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-30.03.2016 तक अवश्य कर दिया जाय।
6. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।
7. निकासी की गई राशि का नियमित रूप से महालेखाकार के साथ मिलान का कार्य अवश्य कराया जाय।
8. प्रत्येक तिमाही का व्यय प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भर कर बजट शाखा को अवश्य समर्पित की जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(विवेक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-40/2015

/प०व० पटना-15, दिनांक-...../10/2015

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(विवेक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-40/2015

/प०व० पटना-15, दिनांक-...../10/2015

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (तीन प्रतियों में) एवं बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(विवेक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-40/2015

06

/प०व० पटना-15, दिनांक-.../10/2015

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं CTMIS के नई प्रणाली के माध्यम से संबंधित कोषागार को ऑनलाईन बजट शीघ्र आवंटित करने हेतु सूचनार्थ एवं प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव